अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

10 15.12.2023	**न्यायालय उपायुक्त, रॉची** दाखिल–खारिज पुनरीक्षण वाद सं० 14 आर० 15/2022–23 आलोक कुमार सिंह पिता स्व० राज किशोर सिंह निवासी बलबीर विल्ला, अशोक नगर, रोड सं० 2 के निकट कडरू, थाना अरगोड़ा, जिला रॉची .... प्रार्थी बनाम 1.अनील कुमार झा पिता स्व० देव चन्द्र झा निवासी शिवपुरी कॉलोनी, हिनु डोरन्डा, रॉची 2. विजेता वर्मा उर्फ विजेता झा पति निलोय कुमार झा निवासी फ्लैट सं० 1005, गोपाल मार्केटिंग कॉम्लेक्स, आई०डी०बी०आई० बैंक के विपरित, अरगोड़ा चौक, रॉची। 3. बीर इन्दर सिंह रंधावा पिता स्व० बलबीर सिंह रंधावा निवासी गृह सं० सी० 8, कोयल नगर, राउरकेला, थाना झीरपाय, जिला सुन्दरगढ (ओडिसा) .... उत्तरवादी आदेश प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद प्रार्थी ने विद्वान उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर, रॉची के द्वारा दाखिल–खारिज अपील वाद सं० 36 आर० 15/2020–21 मे पारित आदेश दिनांक 01.04.2022 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके तहत्त विद्वान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची ने उत्तरवादी सं० 1 के द्वारा दायर अपील को स्वीकृत करते हुए अँचल अधिकारी अरगोड़ा के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 1779 आर० 27/2019–20 मे दिनांक 19.03.2020 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया तथा अँचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि मौजा अरगोड़ा, थाना सं 207, जिला रॉची के आर० एस० खाता सं० 263, प्लॉट सं० 2158, एम० एस० प्लॉट सं० 1867 भूमि का पूर्व पंजी ।। रैयत के नाम से जमाबंदी संधारित करते हुए उत्तरवादी सं० 1 एवं अन्य के द्वारा प्रस्तुत कागजातों की जॉच पड़ताल करके नामान्तरण स्वीकृत करने की कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया। विगत तिथि को बार–बार पुकार करवाने के बावजूद प्रार्थी की ओर से इस पुनरीक्षण वाद मे अग्रेतर कार्रवाई हेतु कोई उपस्थित नही हुए। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी के अनुरोध पर उन्हे इस वाद को अंगीकृत करने की बिन्दु पर बहस हेतु समय प्रदान किया गया, परन्तु प्रर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजुद भी उनकी	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

	ओर से इस वाद को अंगीकृत करने के बिन्दु पर सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए। पुनः आज भी पुकार पर अनुपस्थित पाये गये। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हे अब इस पुनरीक्षण वाद के निष्पादन हेतु कोई अभिरूचि नही रह गया है। अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद की कार्रवाई उचित पैरवी के अभाव मे समाप्त की जाती है। इस आदेश की प्रति उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे। उपायुक्त राँची लेखापित एवं संशोधित उपायुक्त राँची	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.12.30 02:10:30 -08:00
Location: 192.168.1.4